

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री पुरा

बनाम

विपक्षी : श्री उदा व अन्य

किस्म मुकदमा - 128 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 17/25

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 28.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1 से 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 1 उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 3 द्वारा जवाब पेश नहीं किया। विपक्षी संख्या 1, 3 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगद्दी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। विपक्षी संख्या 1 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन नहीं होने से विवाद रहता है जिससे पत्थरगद्दी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1, 3 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित रहे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगद्दी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगद्दी किये जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगद्दी किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा गोटीपा पटवार हल्का कुण्डई, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 117 की आराजी न. 1587, 1588, 1589 किता 3 रकबा 1.2100 है। भूमि व खाता संख्या नया 51 की आराजी न. 1471, 1473, 1474, 1475, 1476, 1561, 1562, 1563, 1564, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1590 किता 31 रकबा 5.1500 है। भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगद्दी कर सीमाकंन कराया जावे। पत्थरगद्दी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रुपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगद्दी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगद्दी नहीं की जावे। उक्त पत्थरगद्दी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगद्दी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

